

24/5/18

पकावती आज सुभ को ह इन्द्रपुरा में पेश  
हुई। प्रकरण से संबंधित वाउ पत्र का निस्तारण  
हो चुका है तथा प्राथमिक डिंडी जारी हो चुकी है।  
प्रकरण में अनावेदकगण को जारीये अस्थाई  
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। डि वाउ  
पत्र से अनिश्चि निस्तारण एवं राजस्व रिपोर्ट  
एवं मॉरिंग की प्रथा रीखाते बनाये रखें।  
ताहसीलदार उदयप्रकाश प्राथमिक डिंडी की  
पालना से एकरे त्वतंत्र रखें।

पकावती ऊँसल प्रकार होकर नम्वर 6  
का हो तथा पकावती दाखिल दफ्तर हो।

सपरवाण्ड अधिकारी